field of humaniti &, educational sciences, medicine, engineering and architecture, and includes provisions for exchange of teachers and students, reading materials, promotion of research and development of library and documentation centres. The proposed Protocol has been referred to the concerned Universities for their comments.

Welfare of Minorities

*151. SHRI SYED SIBTEY RAZI :
Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) the details of schemes to promote welfare of minorities, State and Union Territory-wise;

(b) the details of the schemes which have been implemented fully ;

(c) whether Government propose to take some steps to ensure implementation of the existing schemes ;

(d) whether Government also propose to launch new schemes for the welfare of Minorities in the current year ; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITA RAM KESRI) : (a) and (b) The details of schemes to promote welfare of minorities for each State and Union Territory are available in the Plan/Budget documents for the States/Union Territories. These are accessible documents.

(c) Government of India monitors the implementation of 15-Point Programme for welfare of Minorities in the States on a regular basis.

(d) and (e) The Ministry of Welfare is implementing the Scheme for Pre-examination Coaching/Training to prepare candidates of monirity communities for competitive examinations/professional courses. This scheme is being run in 35 centres.

खाद्यान्न भंडारण-क्षमता

*152. कुमारी सरोज खापर्डे :
श्री अजीत जोगी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय भांडागारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों के पास इस समय खाद्यान्नों की कुल कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है और कितनी भंडारण क्षमता की और आवश्यकता है ;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए उपर्युक्त एजेंसियों के पास इस समय कुल कितना आरक्षित तथा कारगर भंडार उपलब्ध है ;

(ग) 1990–91 के दौरान विभिन्न गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न रखा गया था ;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त एजेंसियों की खाद्यान्न भंडारण-क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गोदामों की कुल संख्या कितनी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) आठवीं योजना के लिए भण्डारण और भाण्डागारण संबंधी कार्यकारी दल ने 1994–95 के अन्त तक खाद्यान्नों के लिए 23 मिलियन मीटरी टन की भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होने का अन्दाजा लगाया था। इसके प्रति 31–12–1991 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों के पास अनुमानत: निम्नानुसार अपनी क्षमता थी :–

भारतीय खाद्य निगम	13 मिलियन मीटरी टन
केन्द्रीय भंडारण निगम	5 मिलियन मीटरी टन
राज्य भंडारण निगम	7 मिलियन मीटरी टन

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध लगभग पूरी क्षमता का खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त क्षमता को निगम द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण